मेरठ जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं व अभिभावकों में बाल–शोषण एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० अमित कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
महालक्ष्मी कॉलिज, फॉर गर्ल्स दुहाई, गाजियाबाद

सारांशिका

''आमतौर पर माना जाता है कि बाल–शोषण का मतलब बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है।'' बच्चे के माता–पिता या अभिभावक द्वारा किया गया हर ऐसा काम बाल–शोषण के दायरे में आता है, जिससे उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो जिससे बच्चा मानसिक रूप में भी प्रताड़ित महसूस करता हो। भारत में हालत ऐसी है कि अक्सर बाल–शोषण के वजूद को ही सिरे से नकार दिया जाता है लेकिन सच यह है कि खामोश रहकर हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की वारदातों को बढ़ावा ही दे रहे हैं। देश के संविधान में बच्चों के लिए कई तरह के मौलिक अधिकारों को प्रावधान किया गया है, लेकिन इन अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के मामले में जरूरत के अनुसार अहमियत नहीं दी जाती है। इसके बावजूद बाल शोषण जैसी गंभीर सामाजिक समस्यों को देश में अक्सर दर–किनार कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि समस्या की गंभीरता के नजरिए से इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की जरूरत है। शोधार्थी ने शोधकार्य के लिए ''मेरठ जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं में बाल शोषण एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति व अभिभावको को जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' शीर्षक समस्या अभिकथन के रूप में प्रस्तुत किया है। शोध का उद्देश्य बाल शोषण से सम्बन्धित बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्या का अध्ययन करना बाल शोषण से सम्बन्धित समस्या के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना तथा बाल शोषण उन्मूलन के लिए किए गए संवैधानिक प्रयासों का अध्ययन करना प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्धन के सम्पादन हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत लघु शोध में मेरठ जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को अनुसंधान के लिये चुना गया है।

मुख्य शब्द : संरक्षण, शोषण, अधिकार, जागरूकता, भावनात्मकता।

भूमिका : संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन (यूएनसीआरसी) के अनुसार हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, बच्चा कहलाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, बच्चा कहलाता है। बाल शोषण आज हमारे लिए कोई अंजान शब्द नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज का एक विकृत और खौफनाक सच चुका है। वर्तमान दौर में निर्दोष एवं लाचार बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएँ इतनी आम हो चुकी हैं कि अब तो लोग इस ओर ध्यान भी नहीं देते जबकि वास्तविकता यह है कि बाल शोषण बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

आमतौर पर माना जाता है कि ''बाल–शोषण का मतलब बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है।'' बच्चे के माता–पिता या अभिभावक द्वारा किया गया हर ऐसा काम बाल–शोषण के दायरे में आता है, जिससे उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो जिससे बच्चा मानसिक रूप से भी प्रताड़ित महसूस करता हो। भारत में हालत ऐसी है कि अक्सर बाल–शोषण के वजूद को ही सिरे से नकार दिया जाता है लेकिन सच यह है कि खामोश रहकर हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की वारदातों को बढ़ावा ही दे रहे हैं। देश के संविधान में बच्चों के लिए कई तरह के मौलिक अधिकारों को प्रावधान किया गया है, लेकिन इन अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के मामले में जरूरत के अनुसार अहमियत नहीं दी जाती है। इसके बावजूद बाल शोषण जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को देश में अक्सर दर–किनार कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि समस्या की गंभीरता के नजरिए से इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की जरूरत है।

बाल शोषण से संबंधित शोध की आवश्यकता :

बच्चे का शोषण या बाल दुराचार, शारीरिक यौन या मनोवैज्ञानिक बच्चों की उपेक्षा विशेष रूप से एक माता–पिता या अन्य देखभाल कर्त्ता के द्वारा होता है। किसी भी देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ के आधारभूत मानवीय संसाधन के रूप मे प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाए, एवं इनके सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि इनकी शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाए और यह भी जाना जाए कि इन्हें सुलझाने के लिये कौन से प्रयास किये जा रहे है? और वे किस हद तक सार्थक सिद्ध हो रहे हैं।

यह अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है ओर उनके हितों की सुरक्षा किए बगैर एक सुरक्षित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छात्र–छात्राएँ जो भावी समाज

के निर्माता है। उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी कितनी जागरूकता है? इसलिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शोध की अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत है।

समस्या अभिकथन :

शोधार्थी ने शोधकार्य के लिए ''मेरठ जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं व अभिभावकों में बाल शोषण एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' शीर्ष समस्या अभिकथन के रूप में प्रस्तुत किया है।

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दावली की कार्यकारी परिभाषा :

बाल शोषण : बाल शोषण के मानकों के निर्धारण में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

1. डब्लू.एच.ओ. (वर्ल्ड हैल्थ ओर्गेनाइजेशन) के अनुसार : बच्चे के खिलाफ शारीरिक बल का जानबूझ कर उपयोग या उसके परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावना है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा के लिये नुकसान हो।

शोध का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैः–

1. बाल शोषण से संबंधित बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्या का अध्ययन करना।
2. बाल शोषण से सम्बन्धित समस्या के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना :

प्रस्तुत लघु शोध में निर्धरित उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया हैः–

1. बाल शोषण से सम्बन्धित बालक–बालिकाओं की अनेक शैक्षिक समस्यायें हैं।
2. बाल शोषण से सम्बन्धित समस्या के प्रति अभिभावकों में जागरूकता है।

शोध अभिकल्प :

प्रयुक्त अनुसंधान विधि :

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्धन के सम्पादन हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

मेरठ जनपद के कुछ शहरी क्षेत्रों में 6–14 आयु वर्ग के उन सभी बालक–बालिकाओं को जो कि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, प्रस्तुत अनुसंधान के लिए जनसंख्या माना गया है।

न्यादर्श :

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्धन में विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् 6 से 14 वर्ष के 60–60 बालक–बलिकाओं एवं उनके अभिभावकों का चयन सौद्देश्य न्यादर्श विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल 120 बालक–बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण :

प्रस्तुत अनुसंधान में बालक–बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों के लिये अलग–अलग स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। जो निम्नवत् है–

1. बालक–बालिकाओं के लिये बाल शोषण से सम्बन्धित शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची।
2. बाल शोषण सम्बन्धित समस्या के प्रति अभिभावकों की जागरूकता की साक्षात्कार अनुसूची।

प्रयुक्त सांख्यिकी :

प्रस्तुत शोध की प्रकृति के अनुसार प्रदत्तों का प्रतिशतीय विश्लेषण एवं प्राप्त परिमाणों की गुणात्मक व्याख्या की गयी है। अतः प्रस्तुत शोध के प्रदत्तों के विश्लेषण में मात्र प्रतिशतता की गणना की गयी है, क्योंकि मूल प्राप्तांकों के आधार पर किसी बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्या के विषय में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मध्यमान व प्रतिशतता सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है :

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. बाल शोषण से सम्बन्धित बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या

बाल शोषण से सम्बन्धित बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का प्रतिशतीय निरूपण

क्र.स.	कथन	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते
1.	क्या आपको विद्यालय (स्कूल) जाना अच्छा लगता है?	90 %	10 %	–
2.	क्या आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल–कूद की सामग्रियाँ है एवं क्या आप उनसे खेलते हैं?	60%	40%	–
3.	क्या आप इन सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते है?	75%	25%	–
4.	क्या आप के शिक्षक आपको दंडित करते हैं जब आप गृह कार्य करके नहीं आते हैं?	60%	30%	10%
5.	क्या आपके अध्यापक आपसे विनम्रतापूर्वक एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं?	85%	10%	5%
6.	क्या आपको अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है?	28%	72%	–
7.	क्या आपके माता–पिता आप पर अपने सपने पूरे कराने के लिये अत्यधिक दबाव डालते हैं?	70%	25%	5%
8.	क्या आपके अभिभावक आपको शारीरिक दण्ड जैसे मारते–पीटते हैं?	10%	90%	–
9.	क्या आपके विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है?	75%	25%	–
10.	क्या आपके विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम पर आधारित चल–चित्र दिखाए जाते हैं?	71%	29%	–

4.1.1 परिणामों की व्याख्या :

न्यादर्श के रूप में चुने गए 60 बालक, 60 बालिकाओं कुल मिलाकर 120 बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आज अधिकत्तर (90 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को विद्यालय जाना अच्छा लगता है, किन्तु कुछ कारणों जैसे अभिभावकों द्वारा घरेलू हिंसा, उनकी उपेक्षा करना, अपने बच्चों में भेदभाव करना, उनसे घरेलू कार्य कराना, शिक्षकों द्वारा गृह कार्य न करने पर दंडित करने से बालक–बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक (भावनात्मक) तथा शैक्षिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 70प्रतिशत माता–पिता अपने सपने पूरे कराने के लिए अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं। अभिभावकों को बच्चों को मार्गदर्शन बनना चाहिये।

75 प्रतिशत विद्यालय शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते है व 71 प्रतिशत विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम पर आधारित चलचित्र दिखाये जाते है। संवैधानिक प्रयासों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार का

यह नतीजा है कि आज बच्चे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अपनी भावनाएँ परिवार के समक्ष रखते है जिससे सर्वांगीण विकास हो सके। 28 प्रतिशत बालक–बालिकाओं को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है।

द्वितीय परिकल्पना :

4.2 ''बाल शोषण सम्बन्धी समस्या के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का विश्लेषण एवं व्याख्या''

बाल शोषण सम्बन्धी समस्या के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का प्रतिशतीय निरूपण

क्र.स.	कथन	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते
1.	क्या आप अपने बच्चों को उचित पोषण, खेल–कूद मनोरंजन तथा व्यक्तिगत विकास से सम्बन्धित अन्य सुविधाएँ दे पाते है?	80%	20%	–
2.	क्या आप अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें शारीरिक दंड जैसे मारते–पीटते हैं?	10%	90%	–
3.	क्या आप बच्चों के मूल अधिकारों के विषय में जानकारी रखते है?	50%	40%	10%
4.	क्या आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में सम्मिलित है?	5%	95%	–
5.	क्या आपका बच्चा विद्यालय जाना पसंद करता है?	70%	30%	–
6.	क्या आप इस बात से सहमत है कि बच्चों को अनुशासन में लाने के लि ए उनसे वार्तालाप करने एवं सलाह प्रदान करना चाहिए?	90%	7%	3%
7.	क्या आप मानते है कि बच्चों का सम्पूर्ण रूप से विकास करना अभिभावकों का कर्त्तव्य है?	78%	17%	5%
8.	क्या आप अपने बच्चों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं?	90%	8%	2%
9.	क्या आप अपने बच्चे के विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ बैठक में जाते हैं?	60%	38%	2%
10.	क्या आप इस बात की जानकारी रखते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रुप से स्वस्थ्य है या नहीं?	85%	12%	3%
11.	क्या आप मानते हैं कि बच्चों को शिक्षित करने से उनका भविष्य सुखमय हो जाएगा?	90%	8%	2%
12.	क्या आप मानते हैं कि बच्चों की अभिव्यक्तियों उनकी संवेदनाओं का कोई महत्त्व नहीं है?	65%	30%	5%
13.	क्या आप आपके बच्चों के विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि, कार्य प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली की जानकारी रखते है?	78%	20%	2%
14.	क्या आप इस बात की जनकारी रखते हैं कि आपका बच्चा घर या बाहर अपने को सुरक्षित महसूस करता है या नहीं?	80%	18%	2%
15.	क्या आपका बच्चा अपनी इच्छाओं, अभिव्यक्तियों, भावनाओं तथा परेशानियों के बारे में आपसे खुलकर बात करता है?	75%	20%	5%
16.	क्या आप अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से घरेलू कार्य जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना आदि कराने से उनकी शिक्षा एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?	75%	18%	7%
17.	क्या आप अपने बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हैं ? जिससे उनका नैतिक विकास हो।	60%	35%	5%
18.	क्या आपको बाल–शोषण के उन्मूलन के लिए किए जाने वाले संवैधानिक प्रयासों की जानकारी है?	70%	18%	12%
19.	क्या आप अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं?	90%	8%	2%
20.	क्या आप बाल–श्रम, बाल–विवाह जैसी बुराईयों को समाप्त करने के पक्ष धर हैं?	98%	2%	0%

4.2.1. परिणामों की व्याख्या :

न्यादर्श के रूप में चुने गए 120 अभिभावकों पर किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि (80 प्रतिशत) अभिभावक अपने बच्चों को उचित पोषण, खेल–कूद, मनोरंजन तथा व्यक्तिगत विकास से सम्बन्धित अन्य सुविधाएँ दे पाते हैं। (90 प्रतिशत) अभिभावक अपने बच्चों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

बाल शोषण के निवारण के लिए किए जाने वाले संवैधानिक एवं कानूनी प्रयासों के कारण 70 प्रतिशत अभिभावकों को बच्चों के मूल अधिकारों की जानकारी है, 98 प्रतिशत मानते हैं कि बाल श्रम, बाल–विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना आवश्यक है। 90 प्रतिशत अभिभावक मानते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। 60 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों के विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि, कार्य प्रणाली, बाल सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की जानकारी रखते हैं। अपने बच्चों के प्रत्येक अभिभावक शिक्षक संघ बैठक में जाते हैं, शिक्षकों से अपने बच्चे की सम्पूर्ण शैक्षिक विकास की जानकारी रखते हैं। 75 प्रतिशत बच्चे अपनी इच्छाओं, अभिव्यक्तियों, भावनाओं तथा परेशानियों के बारे में अपने अभिभावकों से वार्तालाप करते हैं।

प्रत्येक बच्चे में सीखने की ललक एवं नया जानने की सदैव जिज्ञासा रहती है। यदि उसकी रूचि के अनुसार उसे पढ़ने एवं कार्य करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित ही वह सफलता को प्राप्त करेगा। माता–पिता तथ अभिभावक के सपने अथवा उनके द्वारा थोपे गए लक्ष्य में यदि उसकी रूचि ना हो तो वह कुण्ठा ग्रस्त होकर असफलता की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार का दबाव बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा में अच्छे अंक न लाने का मतलब यह नहीं कि दुनिया का अन्त हो गया। इस विषय में बच्चों के अभिभावकों को भी सलाह की जरूरत है। 90प्रतिशत अभिभावक यह मानते हैं कि बच्चों को शिक्षित करने से ही उनका भविष्य सुखमय हो जाएगा। अभिभावकों की इस विचारधारा के पीछे एक कारण आज के युग की तुलनात्मक विचारधारा को माना गया है जिससे बच्चों में उदासीनता, कुंठा बढ़ती जा रही है, जोकि उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास में बाधक हो सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में बालकों व अभिभावकों मे बाल शोषण एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता शैक्षिक समस्याओं एवं उनके लिये किये जा का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। उक्त अध्ययन को दो भागों में उद्देश्यानुसार विभक्त किया गया तथा अध्ययन को पूर्ण करने के लिए 120 बालक–बालिकाओं एवं उनके 120 अभिभावकों का चयन किया गया, तथा बालक–बालिकाओं पर स्व–निर्मित शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूचियों एवं अभिभावकों पर बाल–शोषण व जागरूकता अनुसूची का प्रशासन किया गया। प्राप्त परिणामों का प्रतिशतीय विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार विगत् अध्ययन में प्राप्त परिणामों का निष्कर्ष निम्नवत् प्रस्तुत है–

बाल शोषण से सम्बन्धित बालक–बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्ध में निष्कर्ष :

1. बाल शोषण से सम्बन्धित शैक्षिक समस्या का मुख्य कारण बच्चों की उपेक्षा, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। अर्थात् वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक भी हो सकती है।
2. अधिकतर 70 प्रतिशत बालक–बालिकाओं पर अपने अभिभावको के सपने पूरे करने का दबाव है।
3. 10 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक दण्ड मिलता है या उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
4. 18 प्रतिशत बालक–बालिकाओं का अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है।

बाल शोषण से सम्बन्धित अभिभावकों की जागरूकता के सम्बन्ध में निष्कर्ष

1. सभी अभिभावकों का मानना है कि ''बाल शोषण से सम्बन्धित समस्या'' के प्रति जागरूकता तथा बाल मूल अधिकारों की जानकारी के द्वारा ही इस समस्या का अंत हो सकता है।
2. 90 प्रतिशत अभिभावक इस बात से सहमत है कि बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए उनसे वार्तालाप करना एवं सलाह प्रदान करना चाहिए। 80 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को उचित पोषण, खेल–कूद मनोरंजन तथा व्यक्तिगत विकास से सम्बन्धित अन्य सुविधाएँ दे पाते हैं।
3. 60 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हैं।
4. 98 प्रतिशत अभिभावक बाल श्रम, बाल–विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के पक्षधर हैं।
5. 75 प्रतिशत अभिभावक अपने इस तथ्य से सहमत हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से घरेलू कार्य करने से उनकी शिक्षा एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 80 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक है।
6. 60 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों के अभिभावक शिक्षक संघ बैठक में जाते हैं।
7. 8 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों के विद्यालय में प्रत्येक गतिविधि, कार्य प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली की जानकारी रखते है।

संदर्भ सूची :

- सिंह प्रताप जितेन्द्र (2016) 'सिसकता बचपन' लघु शोध पत्रिका गाजियाबाद
- डॉ० गुप्ता अलका, ''शैक्षिक उपलब्धि'' शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
- डॉ० पाण्डेय रामशक्ल ''भारतीय शिक्षा की समसामायिक समस्यायें विनोद पुस्तक भंडार आगरा
- जर्नल्स
- समाचार पत्र, पत्रिकायें
- इन्टरनेट
- सोशल प्लेटफार्म।